17/6/19 पत्रावली पेश हुई
अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी, उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
अधि०क्ता प्रार्थी अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
पत्रावली वास्ते ... [illegible]
आगामी पेशी दिनांक 28.6.19
को पेश हो

28/6/19

उक्त पत्र उप-1 वादी [illegible] द्वारा [illegible] के [illegible] पत्र [illegible] दस्तावेज पेश किये गये [illegible] पेश नहीं करना चाहते हैं पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 3/7/19 को पेश हो।

3.7.19

उक्त पत्र उप-1 बहस अंतिम सुनी गई। पत्रा वास्ते निर्णय दिनांक 24.7.19 को पेश हो।

Web Copy - Not Official

24/7/19 पत्रावली पेश हुई
अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी, उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
अधि०क्ता प्रार्थी अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
पत्रावली वास्ते निर्णय
आगामी पेशी दिनांक 5.8.19
को पेश हो

5-8-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस पुनः सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद वादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर डिक्री जारी की गई निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर ए एस

राजस्व वाद संख्या :– 409 / 2018

1 अमन कुमार पुत्र श्री आत्माराम जाति जाट निवासी रातीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 आत्माराम पुत्र श्री लिछमणराम जाति जाट निवासी रातीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 अमित कुमार पुत्र श्री आत्माराम जाति जाट निवासी रातीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 मैना देवी पुत्री श्री आत्माराम जाति जाट निवासी रातीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4 सीता पुत्री श्री आत्माराम जाति जाट निवासी रातीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

5 ओ. बी. सी. बैंक शाखा हनुमानगढ जंक्शन – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता वादी
2. श्री अमरिकसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

दिनांक :– 05.08.2019

–:: निर्णय ::–

वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नम्बर 44 एन.जी.सी. के खाता संख्या 11/10 मे 2.150 हैक्टर व चक 44 एन.जी.सी. खाता संख्या 136/134 मे 0.253 हैक्टर व चक 46 एन.जी.सी. खाता संख्या 7/7 मे 0.116 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है नकल जमाबंदी चक 44 एन.जी.सी. खाता संख्या 11/10 सम्वत् 2074–2077 व चक 44 एन.जी.सी. खाता संख्या 136/134 सम्वत् 2074–77 चक 46 एन.जी.सी. खाता संख्या 7/7 सम्वत 2074–77 हमराह पेश है।

अर्जीदावा की दफा 2 में वर्णित भूमि पूर्व में मुझ वादी के दादा स्व. लिछमणराम की भूमि थी जो उनके फौत होने के पश्चात बसिलसिला विरासतन मुझ वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 आत्माराम पर औद हुई। उक्त भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि है जिसमे मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को बर्थ राईट हांसिल है चूकि उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तथा अन्य सम्पति के अलावा अर्जीदावा की दफा 2 में वर्णित भूमि का आपस मे घरू बंटवारा (पारीवारिक समझौता) कर लिया है, घरू बंटवारा होने के पश्चात् प्रतिवादीया संख्या 3 व 4 ने घरू बंटवारा में प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष मे हक त्याग कर दिया। प्रतिवादीया संख्या 3 व 4 के हक त्याग करने के पश्चात् मुझ वादी व प्रतिवदी संख्या 1 व 2 ने भूमि का आपस मे बंटवारा कर लिया है। मुताबिक घरू बंटवारा पारिवारिक समझौता मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को चक 44 एन.जी.सी. खाता संख्या 11/10 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2.150 हैक्टर भूमि बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है। तथा घरू बंटवारा के रोज से ही मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 अपने घरू बंटवारा में प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि पर काबिज रहकर बिना किसी रोक टोक के काश्त कर रहे है। परन्तु अभी तक राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित होने के कारण मुझ वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी

लगातार 2

Scanned by CamScanner

अतः वादी घोषणा इस अमर की प्राप्त करने का अधिकारी है कि वादी अमन कुमार व प्रतिवादी संख्या 2 अमित कुमार, प्रतिवादी संख्या 1 आत्माराम के नाम दर्ज वाके चक 44 एन.जी.सी. खाता संख्या 11/10 मे 2.150 हैक्टर भूमि मे बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा वाके चक 44 एन.जी.सी. खाता संख्या 11/10 प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण से इस बावत निवेदन किया तो पहले तो वे टाल मटोल करते रहे बाद मे आज से 10 रोज पूर्व मुकाम सहजीपुरा मे साफ इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। वाद वादीगण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषणा फरमाई जावे कि वादी अमन कुमार व प्रतिवादी संख्या 2 अमित कुमार, प्रतिवादी संख्या 1 आत्माराम के नाम दर्ज वाके चक 44 एन.जी.सी. खाता संख्या 11/10 मे 2.150 हैक्टर भूमि में बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा वाके चक 44 एन.जी.सी. खाता संख्या 11/10 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

(ख) अन्य कोई दादरसी करीने इन्साफ मुफीद मुदई हो तो अता फरमाई जावे ।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 26.12.2018 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये। जानें पर उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा पहचान किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि हम पक्षकारान के बीच पंचातय के मौजिज व्यक्तियों ने हमारा आपस में राजीनामा करवा दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नम्बर 44 एन.जी.सी. खाता सख्या 11/10 में 2.150 हैक्टर व चक 44 एन.जी.सी. खाता संख्या 136/134 में 0.253 हैक्टर व चक 46 एन.जी.सी. खाता संख्या 7/7 में 0.316 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जो वादी के दादा स्व. लिछमणराम की भूमि थी जो उनके फौत होने के पश्चात बसिलसिला विरासतन मुझ वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 आत्माराम पर औद हुई। उक्त वर्णित भूमि का आपस में घरू बंटवारा (पारिवारिक समझौता) कर लिया है घर बंटवारा होने के पश्चात् प्रतिवादीया संख्या 3 व 4 ने घरू बंटवारा में प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में हक त्याग कर दिया। प्रतिवादीया संख्या 3 व 4 के हक त्याग करने के पश्चात् मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने भूमि का आपस मे बंटवारा कर लिया है। मुताबिक घरू बंटवारा पारिवारिक समझौता मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को चक 44 एन.जी.सी. खाता संख्या 11/10 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2.150 हैक्टर भूमि बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है। वादी अमन कुमार व प्रतिवादी संख्या 2 अमित कुमार को प्रतिवादी संख्या 1 आत्माराम के नाम दर्ज चक 44 एन.जी.सी. खाता संख्या 11/10 मे 2.150 हैक्टर भूमि मे बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व चक 44 एन.जी.सी. खाता संख्या 11/10 में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया वे तो प्रतिवादीगण को कोई आपति एतराज नहीं है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्तानुसार वाद वादी डिक्री फरमाया जावे तो हम पक्षकारान सहमत है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

लगातार 3

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

प्रकरण मे उभयपक्ष के मध्य राजीनामा से किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होने से प्रकरण मे तनकीयात कायम नही होने से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागणो ने वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करने हेतु निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागणो ने वाद एवम् राजीनामा मे दिये गये कथनो को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करने हेतु निवेदन किया।

इस सम्बध मे आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रैवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धडी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति मे शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 आत्माराम के नाम तहसील हनुमानगढ के चक चक 44 एन.जी.सी. खाता संख्या 11/10 मे 2.150 हैक्टर भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होनें के कारण वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र होनें के कारण उनका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

लगातार 4

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित तहसील हनुमानगढ़ के चक 44 एन.जी.सी. खाता संख्या 11/10 मे में प्रतिवादी संख्या 1 आत्माराम के नाम से 2.150 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 आत्मा राम का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर उसके पुत्रों वादी संख्या 1 अमन कुमार तथा प्रतिवादी संख्या 2 अमित कुमार को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 05.08.2019 को लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 409 / 2018

1 अमन कुमार पुत्र श्री आत्माराम जाति जाट निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ। – – वादी

–: बनाम :–

1 आत्माराम पुत्र श्री लिछमनराम जाति जाट निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।

2 अमित कुमार पुत्र श्री आत्माराम जाति जाट निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।

3 मैना देवी पुत्री श्री आत्माराम जाति जाट निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।

4 सीता पुत्री श्री आत्माराम जाति जाट निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।

5 ओ. बी. सी. बैंक शाखा हनुमानगढ जंक्शन – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 05.08.2019

वादी की ओर से श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री अमरिक सिंह अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 05.08.2018 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित तहसील हनुमानगढ के चक 44 एन.जी.सी. खाता संख्या 11/10 में से प्रतिवादी संख्या 1 आत्माराम के नाम से 2.150 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 आत्मा राम का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर उसके पुत्रों वादी संख्या 1 अमन कुमार तथा प्रतिवादी संख्या 2 अमित कुमार को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेंगें। यह डिक्री आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –

Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 10:26:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: